SUMMARY TRIAL SECTION 286 or 287 OF THE B.N.S.S. 2023

in the Court of **Smt. Sunita Taram**, Judl. Magistrate First Class Bhainsdehi

Case no SUM/32 of 2026 Crime No. 02/26

Name and address of the complainant .... मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आबकारी वृत्त भैंसदेही

Name,parentage,caste and address of accused

आरोपी का नाम— संजय झारखण्डे उम्र 25 वर्ष,

पिता / पति का नाम— बारकिया झारखण्डे

निवासी— पोरबरवी

The offence complainant of, and date of, its alleged commission

आप दिनांक 16/04/26 को 1:30 PM बजे स्थान पोरबरनी थाना भैंसदेही में अपने आधिपत्य में बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति के 5 ली. हाथ शराब भट्टी मदिरा रखे हुये पाये गये।

इस प्रकार आपने वह अपराध किया जो कि **धारा—34(क) म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915** के अंतर्गत दंडनीय अपराध है ।

आप अपना जुर्म स्वीकार करते हो या विचारण चाहते हो?

(श्रीमती सुनीता ताराम)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
भैंसदेही, जिला बैतूल

The plea of the accused and his examination (if any) -

अभियुक्त का अभिवाक है कि : जुर्म स्वीकार किया है

(श्रीमती सुनीता ताराम)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
भैंसदेही, जिला बैतूल

The offence proved, if any, and in case under clause,(d) clause (e) clause (f) or clause(g), of Sub- section (i) of Section 260 the value of the property in respect of which the offence has been committed.

न्यायालय– श्रीमती सुनीता ताराम, न्यायिक मजि0प्रथम श्रेणी भैंसदेही,

जिला बैतुल म.प्र.

//निर्णय//

आज दिनांक– 5/8/2026 को घोषित किया गया

1. अभियुक्ता पर धारा– **34 (क) आबकारी अधिनियम 1915** के अंतर्गत आरोप है कि उसने दिनॉक 16/04/26 को 1:30 PM बजे स्थान (मकान) पारबस्नी थाना भैंसदेही में अपने आधिपत्य में बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति के 5 ली. हा.म. शराब को बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति के अपने आधिपत्य में रखा।

2. अभियुक्ता के द्वारा अभियोजन के दस्तावेजों को स्वीकार किया। अभियुक्ता को अपराध की विशिष्टियॉं पढ़कर सुनाये समझाए जाने पर अपराध स्वेच्छया स्वीकृत किया गया है। अतः अभियुक्त की स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियोजन का प्रकरण प्रमाणित होना पाया जाता है।

3. अतः अभियुक्ता को उसकी स्वीकारोक्ति के आधार पर आबकारी अधिनियम की धारा **34 (क) आबकारी अधिनियम** के आरोप में दोषी पाते हुये सिद्धदोष ठहराया जाता है।

4. अभियुक्ता को धारा– **34 (क) आबकारी अधिनियम 1915** के अपराध के आरोप में न्यायालय उठने तक की सजा एवं रूपये पांच सौ / – (500/–) के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड की राशि जमा न करने की दशा में आरोपी को सात दिवस का साधारण कारावास भुगताया जावे।

5. प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति अपील अवधि पश्चात् नष्ट की जावे/संबंधित आबकारी विभाग को विधिवत वापस की जावे।

निर्णय आज दिनांक को खुले न्यायालय में दिनांकित, घोषित एवं हस्ताक्षरित किया गया ।

(श्रीमती सुनीता ताराम)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
भैंसदेही, जिला बैतूल

मेरे निर्देश में टंकित किया गया।

(श्रीमती सुनीता ताराम)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
भैंसदेही, जिला बैतूल

Smt Sunita Taram

Digitally signed by Smt Sunita Taram
Date: 2026.08.05 13:12:13 +0530